भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3475

उत्तर देने की तारीख 24.03.2022

बांस उद्योग

3475. श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

श्री रवनीत सिंहः

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

श्री राहुल रमेश शेवालेः

श्री चन्द्रशेखर साहूः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बांस उद्योग बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च लागत की चुनौतियों का सामना कर रहा है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केवीआईसी/उद्योग ने बांस/कच्चे बांस के पर्याप्त उपयोग और बांस उद्योग की अधिक लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए बांस चारकोल पर निर्यात-संबंधी प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में भारतीय बांस उद्योग की आदान लागत को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अगरबत्ती और बांस शिल्प उद्योगों में उत्पन्न कचरे का देश में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में बांस के कचरे का सबसे अच्छा उपयोग बांस का चारकोल बनाकर किया जा सकता है, जिसकी विदेशों में बहुत मांग है जबकि देश में इसका बहुत सीमित उपयोग है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा बांस उद्योग को मजबूत करने के लिए बांस के कचरे का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार का बांस उद्योग की मदद करने और इस उद्योग में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कोई उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग):   खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अनुरोध पर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार को संरक्षित करने के लिए कच्ची अगरबत्ती के आयात को प्रतिबंधित करने और अगरबत्ती के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अगरबत्ती की आयात नीति को संशोधित किया है और 01.09.2019 से इसे 'स्वतंत्र' व्यवसाय से 'प्रतिबंधित' व्यवसाय में रखा है। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी के अनुरोध पर, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 09.06.2020 की अधिसूचना के माध्यम से, अगरबत्ती विनिर्माण में उपयोग होने वाली गोल बांस स्टिक पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक किया है। सरकार का यह निर्णय बांस की स्टिक्स के विनिर्माण क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को और बढ़ावा देगा।

इसके अतिरिक्त, उच्च निवेश लागत आदि सहित बांस क्षेत्र के सभी पहलुओं से निपटने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2018 में, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) का शुभारंभ किया है।

एनबीएम गैर-वन भूमि में बांस की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों को बढ़ाने और रोपण सामग्री से लेकर, रोपण, संचय, संग्रह, प्रोसेसिंग, विपणन, कौशल विकास के लिए सुविधाओं का सृजन और क्लस्टर अप्रोच मोड में ब्रांड निर्माण पहल तक उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को जोड़कर बांस क्षेत्र के समग्र विकास का संवर्धन करने के लिए कार्य करता है।

(घ) से (छ): एनबीएम में सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्र में बांस प्रशोधन और पौधा अनुकूलन, प्राथमिक प्रोसेसिंग और उत्पाद विनिर्माण इकाइयों आदि में उत्पन्न बांस अपशिष्टों सहित बांस के मूल्य वर्धन स्थापित करने के लिए प्रावधान हैं। राज्य बांस मिशन (एसबीएम) को जैसाकि स्कीम में प्रावधान है मूल्य वर्धन और अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा कच्चे माल के रूप में बांस के संपूर्ण उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के पास 'उत्पाद विकास और प्रसंस्करण' की गतिविधि के अंतर्गत ''प्रारंभिक प्रोसेसिंग इकाइयों में बांस अपशिष्ट प्रबंधन'' का एक घटक है जो मूल्य श्रृंखला की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न बांस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग के लिए परिकल्पित है अब तक, वर्ष 2018-2019 से 2021-22 तक पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के अंतर्गत प्रारंभिक प्रोसेसिंग में बांस अपशिष्ट के प्रबंधन की 34 इकाइयों को स्थापित किया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय **बांस उद्योग सहित** गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना करके देश में रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (पीएमईजीपी) नामक एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 की प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थी जैसे कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रू. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू. है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बांस उद्योग के अंतर्गत सहायता प्राप्त पीएमईजीपी इकाइयों की संख्या निम्नानुसार हैः

वर्ष	सहायता प्राप्त बांस इकाइयों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रू. में)
2018-19	228	282.17
2019-20	264	290.05
2020-21	274	374.42
2021-22 (21.03.2021 तक)	309	461.68

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को संगठनों के रूप में संगठित करने और उनको प्रतिस्पर्धी बनाने, स्थायी रोजगार प्रदान करने और उत्पादों की विक्रेयता को बढ़ाने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के सृजन, नई मशीनरी की खरीद, उत्पादन अवसंरचना, कच्चा माल बैंकों की स्थापना, कौशल विकास और प्रशिक्षण, विपणन संवर्धन पहलों आदि के लिए सहायता करती है। इस स्कीम के अंतर्गत, 500 कारीगरों तक वाले 'नियमित क्लस्टरों' को 2.5 करोड़ रू. और 500 कारीगरों से अधिक वाले 'प्रमुख क्लस्टरों' को 5 करोड़ रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्फूर्ति के अंतर्गत सहायता प्राप्त प्रमुख क्षेत्र बांस, हनी, वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, खादी, कयर आदि हैं।

वर्ष 2014-15 से अब तक, 9197 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए 98.64 करोड़ रू. की भारत सरकार सहायता से 41 बांस क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है।

****